दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2015/408 दिनांक 12/3/2015

सेवा में,

प्रबन्धक
लीलावती देवी महिला महाविद्यालय
सोहनरिया, देवरिया

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष** के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 23.02.2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति चयनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	नाम	विषय
स्नातक : शिक्षा संकाय		
1	डा0 राजेश बाबू	विभागाध्यक्ष, बी0एड0

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2014 / 1069 दिनांक 14 / 07 / 2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
लीलावती देवी, महिला महाविद्यालय, हैरया सोहनरिया देवरिया।

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0 एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 28.04.2014 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति चयनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण / भ्रामक / असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	प्रवक्ताओं का नाम	विषय
स्नातक : शिक्षा संकाय		
1	श्री रामश्लोक पाण्डेय	प्रवक्ता, बी0 एड0
2	श्री गजेन्द्र पाल सिंह	प्रवक्ता, बी0 एड0
3	श्री मृत्युन्जय पाण्डेय	प्रवक्ता, बी0 एड0
4	श्री अर्जुन सिंह यादव	प्रवक्ता, बी0 एड0
5	श्री सुभाष चन्द्र	प्रवक्ता, बी0 एड0
6	श्री संतोष कुमार	प्रवक्ता, बी0 एड0
7	श्री राम अनुग्रह	प्रवक्ता, बी0 एड0

शर्तें– उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं का नेट प्रमाण पत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर कराकर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। उपर्युक्त चयनित विभागाध्यक्ष डा0 राजेश बाबू का यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2009 के अनुसार उपाधि प्राप्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही डा0 राजेश बाबू के चयन अनुमोदन पर विचार किया जायेगा।

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य / प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

29/6/14 30/6/14

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/2016/..674.. *दिनांक 03./05/2016*

सेवा में,

प्रबन्धक,
लीलावती देवी महिला महाविद्यालय, हरैया, सोहनरिया,
देवरिया (उ0प्र0)।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 05.05.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	सुनील कुमार मौर्य	श्री मंगरू राम मौर्य	17.02.1983	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
2	रणविजय शर्मा	श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा	02.09.1981	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
3	भुपेन्द्र कुमार चौहान	श्री जय प्रकाश	01.07.1985	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
4	सन्तोष कुमार गौड़	श्री दुर्गा प्रसाद गौड़	03.12.1970	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
5	पृथ्वी पाल राम	श्री मन्जू राम	15.01.1970	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
6	अखिलेश कुमार यादव	श्री शालिक राम यादव	24.06.1982	प्रवक्ता, बी0एड0 (शारीरिक शिक्षा)
7	आनन्द प्रताप निषाद	श्री राम आधार निषद	12.01.1988	प्रवक्ता, बी0एड0 (ललित कलाएं)
8	ललिता विश्वकर्मा	श्री बन्धन विश्वकर्मा	30.08.1986	प्रवक्ता, बी0एड0 (निष्पादन कलाएं)

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव